

पत्र सं०- विधि 4(3) पुनरीक्षण प्रक्रिया निर्धारण/2021-22/

०७ /वाणिज्य कर

कार्यालय-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०।


(विधि अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक :: ०६ अप्रैल, 2021

--:आदेश:--

विधि अनुभाग, मुख्यालय द्वारा जारी आदेश सं०-विधि 4(3) पुनरीक्षण प्रक्रिया निर्धारण/2020-21/392 दिनांक 05 नवम्बर, 2020 से उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 108 से प्रदत्त पुनरीक्षण शक्ति कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र० (पुनरीक्षण प्राधिकारी) द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को प्रत्यायोजित की गयी थी।

सम्यक विचारोपरान्त मुख्यालय द्वारा जारी आदेश सं०-विधि 4(3) पुनरीक्षण प्रक्रिया निर्धारण/2020-21/392 दिनांक 05 नवम्बर, 2020 तत्काल प्रभाव से विखण्डित किया जाता है।



(मिनिस्ती एस०)

कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र सं०, दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन)/एडीशनल कमिश्नर (जी०एस०टी०), वाणिज्य कर, मुख्यालय।
2. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2(वि०अनु०शा०/अपील) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (अनुभाग अधिकारी) वाणिज्य कर, मुख्यालय।
5. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक/वि०अनु०शा०/टैक्स ऑडिट/कारपोरेट सर्किल) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।


(सुनील कुमार राय)
एडीशनल कमिश्नर(विधि)
वाणिज्य कर, मुख्यालय।